

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	पौष 10, बुधवार, शके 1947- दिसम्बर 31, 2025 Pausa 10, Wednesday, Saka 1947- December 31, 2025	

भाग 6 (ख)

जिला बोर्डों, परिषदों एवं नगर आयोजना संबंधी, विज्ञप्तियां आदि

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 12, 2025

संख्या /ज.वि.प्रा/उपा./जोन-4/2025/17372119 :-जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 25 की उपधारा (3) के अनुसरण में जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र में स्थित किसान गृह निर्माण सहकारी समिति लि. की योजना इनकमटैक्स कॉलोनी (स्कीम नं. 5) के आवासीय भूखण्ड संख्या के-51 क्षेत्रफल 355.55 वर्गगज भूमिजिसका भू-उपयोग मास्टर विकास योजना-2011 के अनुसार आवासीय दर्शाया गया है,मास्टर विकास योजना-2025 व जोनल विकास योजना-03 के अनुसार मिश्रित दर्शाया गया हैका आवासीय से मिश्रित भू-उपयोग परिवर्तन प्रस्तावित किये जाने बाबत अधिसूचना दिनांक 11.03.2025 द्वारा आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये गये थे। जिसमें 15 दिवस की निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुए।प्रकरण में जविप्रा स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति की 35वीं बैठक दिनांक 30.04.2025में रखा जाकरभू-उपयोग परिवर्तन किये जाने की सशर्त स्वीकृति प्रदान की गई है।

उपान्तरण

जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 25 की उपधारा (4) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जविप्रा में किसान गृह निर्माण सहकारी समिति लि. की योजना इनकमटैक्स कॉलोनी (स्कीम नं. 5) के आवासीय भूखण्ड संख्या के-51 क्षेत्रफल 355.55 वर्गगज भूमि जिसका भू-उपयोग मास्टर विकास योजना-2025 व जोनल विकास योजना-3 के अनुसार मिश्रित दर्शाया गया हैका भू-उपयोग उपान्तरण मास्टर प्लान-2025 के अनुसार मिश्रित प्रयोजनार्थ किया जाता है।

यह अधिसूचना आज दिनांक 12.09.2025 को जारी की गई है।

निशांत जैन,
सचिव।